न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 227/2024 तारीख रजू:–10.12.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. हरप्यारी पुत्री सोनपाल बेबा खिल्लीराम जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली
2. रेशम पुत्री सोनपाल बेबा मनसुखा जाति जाटव निवासी खिरखिरियान का पुरा तहसील सूरौठ जिला करौली
3. फूलबाई पुत्री सोनापाल बेबा शिवलाल जाति जाटव निवासी खिरखिरियान का पुरा तहसील सूरौठ जिला करौली
4. साहबसिंह पुत्र माता सामन्ती पुत्र रामलाल जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान —————— सायलान

बनाम

1. कमलेश पुत्री मनोहरी पत्नि माखन जाति जाटव निवासी भिडावली तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान
2. रामदेई पुत्री मनोहरी पत्नि अतरसिंह जाति जाटव निवासी भिडावली तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान
3. तहसीलदार व रजिस्ट्रार , तहसील सूरौठ जिला करौली —— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायलान

2. श्री मोहन अवस्थी एडवोकेट गैरसायलान 1, 2

निर्णय

दिनांक :– 24.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि गैरसायलान के विरूद्ध दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायलान व गैरसायल सं. 1 व 2 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। सायलान व गैरसायल सं. 1 व 2 व अन्य गैरसायलान की संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी की पैत्रिक आराजीयात साबिक खसरा नं. 23 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, 24 श्रकबा 1 बीघा 60 विस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 27 रकबा 19 विस्वा, 28 रकबा 2 बीघा, 45 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 46 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा, 47 रकबा 17 विस्वा, 247 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा कुल किता 10, कुल रकबा 15 बीघा 14 विस्वा वाके तन ग्राम सिंघान जट्ट, तहसील सूरौठ, जिला करौली में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि सायलान व गैरसायल सं. 1 व 2 का सजरा निम्न प्रकार है

मटोल (फौत)

मूला (फौत) मवाशी (फौत) सोनपाल (फौत) चिरंजी (फौत)

हरप्यारी (पुत्री) (सायल सं. 1) रेशम (पुत्री) (सायल सं. 2) फूलबाई (पुत्री) (सायल सं. 3) सामन्ती (पुत्री) (सायल सं. 4)

मनोहरी (फौत)(पुत्र)

कमलेश (गैरसायल सं. 1) रामदेई (गैरसायल सं. 2)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सायलान सं. 1 लगायत 3 के पिता व सायल सं. 4 के नाना व गैरसायल सं. 1 व 2 के बाबा सोनपाल फौत हो चुके हैं तथा गैरसायल सं. 1 व 2 के पिता मनोहरी भी फौत हो चुके हैं तथा सायलान ही सोनपाल के जायज कानूनी वारिसान हैं जो उनके तर्फे पर काबिज हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सायलान के पूर्वज सोनपाल की मृत्यू के पश्चात् उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं. 2 प्रार्थना पत्र का नामान्तकरण सं. 28 पटवारी हल्का पाली ने सायलान सं. 1 लगायत 3 व सायल सं. 4 की माता सामन्ती के नाम नहीं खोलकर गैरसायल सं. 1 व 2 के पिता मनोहरी के नाम खोल दिया है तथा गिरदावर हल्का से जाँच करवाकर सायलान को बिना कोई सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये गैरसायल सं. 1 व 2 के पिता मनोहरी ने सरपंच ग्राम पंचायत पाली से साज कर दिनांक 07.08.1976 को उक्त आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया जबकि उक्त आराजीयात में सोनपाल के हिस्से की आराजीयात में सायलान का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा मुताबिक कानून पैत्रिक भूमि होने के कारण होता है लेकिन मनोहरी ने सरपंच ग्राम पंचायत पाली व पटवारी, गिरदावर से साज कर अपने आप को सोनपाल का पुत्र बताते हुए उक्त नामान्तकरण तस्दीक करवाया है जिसका मनोहरी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, इस प्रकार सायलान के नाम नामान्तकरण नही खोलकर सायलान को अपनी पैत्रिक भूमि के अधिकारों से वंचित करने का सरपंच ग्राम पंचायत पाली को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। अगर मनोहरी ने सोनपाल का पुत्र बनकर उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाया है तो भी मनोहरी का उक्त सोनपाल के हिस्से की भूमि में 1/5 हिस्से का नामान्तकरण ही खोलना चाहिए था तथा 1/5–1/5 हिस्से का नामान्तकरण सायलान के नाम खोलना चाहिए था। सायलान का उक्त पैत्रिक भूमि पर आज भी कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। उक्त नामान्तकरण का ईल्म गैरसायल सं. 1 व 2 के पिता मनोहरी ने सायलान को आज दिन तक नहीं होने दिया।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि आराजीयात भूमि मुतजिका मद नं. 2 प्रार्थना पत्र के भूप्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नं. 380 रकबा 35 ऐयर, 390 रकबा 35 ऐयर, 46 रकबा 11 ऐयर, 47 रकबा 24 ऐयर, 48 रकबा 8 ऐयर, 49 रकबा 19 ऐयर, 50 रकबा 11 ऐयर, खसरा नं. 51, खसरा नं. 52 रकबा 16 ऐयर, 53 रकबा 9 ऐयर, 54 रकबा 3 ऐयर, 55 रकबा 18 ऐयर, 56

रकबा 9 ऐयर, 57 रकबा 8 ऐयर, 58 रकबा 12 ऐयर, 59 रकबा 37 ऐयर, 60 रकबा 14 ऐयर, 61 रकबा 31 ऐयर, 62 रकबा 13 ऐयर, 63 रकबा 12 ऐयर, 65 रकबा 20 ऐयर, 66 रकबा 15 ऐयर, 67 रकबा 16 ऐयर, 68 रकबा 24 ऐयर, 69 रकबा 7 ऐयर 70 रकबा 13 ऐयर कुल किता 26 कुल रकबा 4.29 हैक्टेयर कायम किये हैं। उक्त आराजीयात में गैरसायल सं. 1 व 2 का 1/8–1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि सायलान का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व गैरसायल सं. 1 व 2 का उक्त भूमि में 1/5 – 1/5 हिस्सा होना चाहिए था।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं. 1 व 2 के पिता मनोहरी भी सोनपाल का पुत्र न होकर चिरंजी का पुत्र था लेकिन मनोहरी ने अपने आप को सोनपाल का पुत्र बताकर सम्पूर्ण भूमि का ही सरपंच, पटवारी, गिरदावर से साज कर अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया था, इस प्रकार गैरसायल सं. 1 व 2 के पिता मनोहरी ने अपने आप को अवैध तरीके से सोनपाल का पुत्र बनकर खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाई है जबकि मनोहरी का भी सोनपाल की भूमि से कोई संबंध वास्ता नहीं था तथा सायलान ही सोनपाल के एकमात्र जायज वारिसान है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि मनोहरी के फौत होने के पश्चात् सोनपाल की उक्त आराजीयात गैरसायल सं. 1 व 2 के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने के कारण गैरसायल सं. 1 व 2 के हौसले बुलन्द हो गये हैं तथा गैरसायल सं. 1 व 2 उक्त आराजीयात का दीगर व्यक्तियों को रहन–व्यय करने पर उतारू हो रही है जिसका गैरसायल सं. 1 व 2 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 08.10.2024 को सुबह 9 बजे का है कि सायल सं. 1 हरप्यारी अपनी बहिनों के साथ अपनी भूमि की सार–संभाल करने गयी तो गैरसायल सं. 1 व 2 मौके पर आ गये तथा सायला हरप्यारी से कहने लगे कि यहाँ क्या लेने आई हो, यह भूमि तो हमने हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली है तब सायलान ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली तथा नामान्तकरण की नकल ली। तब सायलान को पता

चला कि गैरसायल सं. 1 व 2 के पिता मनोहरी ने ही सोनपाल का पुत्र बनकर उक्त समस्त भूमि को अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया तथा सायलान को अपने पिता की पैत्रिक भूमि से वंचित कर दिया तब सायलान ने गैरसायल सं. 1 व 2 से कहा कि तेरे पिता ने फर्जी तरीके से सोनपाल का पुत्र बनकर हमारे पिता की भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवा लिया तथा हमको हमारे पिता की पैत्रिक भूमि से ही वंचित कर दिया जिसका मनोहरी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था फिर भी तुम हमें 1/5–1/5 हिस्से की भूमि की रजिस्ट्री हमारे नाम करवाओ तथा 1/5 हिस्से की भूमि को तुम अपने पास रखो तथा किसी को रहन–व्यय मत करो तब गैरसायल सं. 1 व 2 आग बबूला हो गई तथा सायलान से कहा कि तुम्हें एक इंच भी जमीन नहीं मिलेगी, तुम्हें जो करना है वह कर लो हम उक्त भूमि को ऊँचे दामों में दीगर व्यक्तियों को रहन–व्यय करेगें तथा तुम्हें बेदखल करेगें तब सायलान ने गैरसायल सं. 1 व 2 को हाथ जोडकर समझाया कि आप हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करो तथा अन्य नाते–रिश्तेदारों ने भी गैरसायल सं. 1 व 2 को समझाया लेकिन गैरसायल सं. 1 व 2 सायलान की बात मानने को तैयार नहीं हुए, इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं. 2 व 6 प्रार्थना पत्र सायलान की पैत्रिक आराजीयात है तथा मनोहरी ने सोनपाल का फर्जी पुत्र बनकर उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया। अगर मनोहरी को सोनपाल का पुत्र मुताजिक राजस्व रिकार्ड मान भी लिया जाता है तो उक्त आराजीयात में सायलान प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व गैरसायल सं. 1 व 2 का 1/5 हिस्सा कानूनन: निहित होता है जिसे दुरुस्त कराकर सायलान अपने नाम खातेदारी कराने के अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं. 1 व 2 ने सायलान की पैत्रिक आराजीयात मुतजिका मद नं. 2 व 6 प्रार्थना पत्र को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन–व्यय कर दिया तथा सायलान को उनके कब्जे से बेदखल कर दिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, सायलान बर्बाद हो

जायेगें, सायलान को गाँव छोडकर जाना पडेगा, पक्षकारान के मध्य मुकदमेंबाजी बढेगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य में संभव नहीं है, इसलिए गैरसायल सं. 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णयीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष मे बखूबी साबित है तथा गैरसायलान को पाबंद करने में गैरसायलान को किसी प्रकार की क्षति नहीं है इसलिए सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति गैरसायलान के पक्ष में नहीं होकर सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार किया किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद फरमाया जावें कि हाल खसरा नं. 380 रकबा 35 ऐयर, 390 रकबा 35 ऐयर, 46 रकबा 11 ऐयर, 47 रकबा 24 ऐयर, 48 रकबा 8 ऐयर, 49 रकबा 19 ऐयर, 50 रकबा 11 ऐयर, खसरा नं. 51, खसरा नं. 52 रकबा 16 ऐयर, 53 रकबा 9 ऐयर, 54 रकबा 3 ऐयर, 55 रकबा 18 ऐयर, 56 रकबा 9 ऐयर, 57 रकबा 8 ऐयर, 58 रकबा 12 ऐयर, 59 रकबा 37 ऐयर, 60 रकबा 14 ऐयर, 61 रकबा 31 ऐयर, 62 रकबा 13 ऐयर, 63 रकबा 12 ऐयर, 65 रकबा 20 ऐयर, 66 रकबा 15 ऐयर, 67 रकबा 16 ऐवर, 68 रकबा 24 ऐयर, 69 रकबा 7 ऐयर 70 रकबा 13 ऐयर कुल किता 26 कुल रकबा 4.29 हैक्टेयर वाके तन ग्राम सिंघान जट्ट, तहसील सूरौठ में सोनपाल के 1/4 हिस्से की भूमि में सायलान के 1/5–1/5 हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा उक्त भूमि को किसी दीरग व्यक्तियों को रहन–व्यय नहीं करें तथा सायलान को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायलान के हक–हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान सं0 1 व 2 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है

कि सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवम झूंठा दावा पेश करना स्वीकार है जिसमें सायलान को सफलता मिलने का कोई चान्स भी नही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 2 आंशिक रूप से स्वीकार है। उक्त आराजीयात सायलान की कब्जे कास्त खातेदारी की भूमि कभी नही रही और नाही वर्तमान में है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 3 में सायलान व गेरसायलान का सजरा बिलकुल गलत दिया गया है। जो कि पूर्ण रूपेण अस्वीकार है। सजरा में गेरसायल नम्वर 1 व 2 के बाबा चिरंजी को बतलाया गया है जो पूर्ण रूपेण असत्य हैं गेरसायल नम्वर 1 व 2 के बाबा सोनपाल थे, सोनपाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि विरासत में एक मात्र पुत्र मनोहरी को मिली व मनोहरी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तकरणसेंउसके पुत्र समय सिंहब पत्नि रूमाली के नाम आयी और मनोहरी के पुत्र समय सिंह के लाआलौद फौत होने पर व पत्नि गेरसायल नम्वर 1 व 2 के नाम सजरा खानदान दर्ज किया है जिसमें मटोल के चार लडके मूला, मवासी, सोनपाल, चिरंजी पुत्रगण मूला, मनोहरी पुत्र सोनपाल, हरप्यारी, रेशम, फूलबाई, सामन्ती, जंगलिया, गिल्हारया, बसन्ता, चौबे पिसरान चिरंजी, समयसिंह (लाऔलाद फौत) रूमाली(पत्नि), कमलेश(पुत्री प्र0सं0 1), रामदेई (पुत्री प्र0सं0 2) पिसरान मनोहरी हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवम झूठा होने के कारण अस्वीकार है। सायलान सोनपाल के जायज वारिसान नही है। बल्कि सोनपाल के जायज कानूनी वारिसान गेरसायल नम्वर 1 व 2 के पिता मनोहरी ही थे। मनोहरी ही सोनपाल का एक मात्र पुत्र था जो कि सोनपाल की जायज कानूनी वारिस था और आज सोनपाल की भूमि पर गेरसायल सं01 व 2 काबिज व दखील चले आ रहे है। यानि सोनपाल के पुत्र मनोहरी की लडकी गेरसायल नम्वर 1 व 2 कानूनी वारिसान की खातेदारी की भूमि है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है कतई गलत एवम झूठा दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। गेरसायल सं01 व 2 के बाबा सोनपाल की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 28 पटवारी हल्का पाली ने सही जांच कर उनके पुत्र मनोहरी के नाम दिनांक 07–08–1976 को उक्त आराजीयात का नामान्तकरण सही खोला गया। उक्त नामान्तकरण को ग्राम पंचायत सरंपच पाली द्वारा सही तस्दीक किया गया है। वादीगण अपने वाद पत्र में स्वयं स्वीकार कर रहे है कि सोनपाल का एक मात्र पुत्र मनोहरी ही था। तभी 1/5 हिस्सा वाली बात लेकर चल रहे है। और प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 5 में यह लेकर चल रहे है कि अगर नामान्तकरण खोला तो मनोहरी को पूर्ण हिस्सा ना देकर 1/5 हिस्सा ही देना चाहिये था यानि भाई बहिनों को 1/5, 1/5 हिस्सा मिलना चाहिये था लेकिन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सन 2005 से पैत्रिक सम्पत्ति मे पुत्रियों को विरासत की भूमि में हिस्सा नही मिलता था सन 2005 में माननीय सुप्रिम कोर्ट के आदेशानुसार विरासत में विवाहित और अविवाहित पुत्रीयों को पुत्रो के समान हिस्सा देने के आदेश होने पर अब पुत्रियों को भी पुत्रो समान हिस्सा मिलने के अधिकार दिये है। इसलिऐ नामान्तकाण संख्या 28 पटवारी हल्का पाली ने गिरदावल जी से जांच करवाकर सरपंच पाली द्वारा सही तस्दीक किया गया है कि उस समय सोनााल का एक मात्र पुत्र मनोहरी ही था इसलिऐ नामान्तकरण स्वीकार किया जाता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 6 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है। गेरसायल नम्बर 1 व 2 के नाम उनका हिस्सा 1/8, 1/8 राजस्व रिकोर्ड में सही दर्ज किया गया है। और गेरसायल नम्वर 1 व 2 अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज व दखील चली आ रही है। गेरसायल नम्बर 1 व 2 के हिस्से की भूमि से सायलान का या अन्य किसी का कोई लेना देना किसी भी प्रकार का किसी भी रूप में नही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 7 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत एवम झूठा होने के कारण अस्वीकार है। गेरसायल नम्वर 1 व 2 के पिता चिरंजी का पुत्र नही था बल्कि सोनपाल का पुत्र था। मनोहरी सोनपाल का पुत्र होने के कारण विरासत का नामान्तकरण मनोहरी के नाम सही तस्दीक किया गया है। बास्तविकता में सायलान का गेरसायल सं01 व 2 के हिस्से की भूमि से कोई लेना देना किसी प्रकार का किसी भी रूप में नही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 8 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है। गेरसायल सं01व 2 के पिता मनोहरी की मृत्यु होने के बाद विरासत का नामान्तकरण उपरोक्त आराजीयात का सही प्रकार से नामान्तकरण खोला जाकर खातेदारी आयी है और गेरसायल नं01 व 2 अपने अपने 1/8, 1/8 हिस्से की भूमि पर काबिज व दखील है। प्रतिवादी सं01 व2 के कोई हौसले बुलन्द नही है। और गेरसायल सं01 व 2 अपने हिस्से की भूमि को किसी को भी रहन वय नही कर रही है। सायलान का गेरसायल सं01 व 2 के हिस्से की भूमि से कोई लेना देना किसी प्रकार का नही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 9 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है कतई गलत एवम झूठा अंकित होने के कारण अस्वीकार है। इस मद में वर्णित समस्त तथ्य गलत है, अस्वीकार है। गेरसायल सं01 व 2 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। सायलान का गेरसायल सं01 व 2 की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। जब सायनान की कोई भूमि है ही नही तो सायलान का भूमियो की साल संभाल करने जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। इस मद में वर्णित समस्त तथ्य कपोल कल्पित दर्ज किये गये है। सायलान का कोई हिस्सा नही है। बास्तविकता में गेरसायल सं01 व 2 अपने 1/8, 1/8 हिस्से की भूमि पर काबिज व दखील है। गेरसायल सं01 व 2 ने सायलान से इस मद में वर्णित कोई बात नही की और नाही रहन वय करने की बात कही है। सायलान ने दावा व प्रार्थना पत्र हाजा कतई गलत

एवम झूठे तथ्यो के आधार पर दर्ज कर पेश कर दिया है। प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गेरसायल सं01 व 2 मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 10 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र पत्र का मद नम्वर 10 गलत है अस्वीकार है। इस मद में वर्णित तथ्य सायलान ने असत्य दर्ज किये है। बास्तविकता में गेरसायल सं01 व 2 के पिता ने मनोहरी ने अपने पिता सोनपाल की मृत्यु के बाद सही विरासत का नामान्तकरण भरा जाकर सही खातेदारी आयी है। गेरसायल सं01 व 2 के पिता मनोहरी ने कोई फर्जकारी नहीं की है। सायलान का गेरसायल सं01 व 2 की भूमि से कोई लेना देना नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 11 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 11 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत एवम झूठा होने के कारण अस्वीकार है। सायलान का गेरसायल सं01 व 2 की भूमि से कोई लेना देना किसी प्रकार का नही है। गेरसयल सं01 व 2 अपने हिस्से की आराजीयात को किसी को भी रहन वय नही कर रहे है। बल्कि अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज व दखील है। जब सायलान की कोई भूमि ही नही है तो उनको अपूर्तनीय क्षति का प्रश्न ही नही है। गेरसायल सं01 व 2 को कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 12 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्वर 12 गलत है अस्वीकार है। सायलान का कोई प्राईमाफेसी केस साबित नही है। गेरसायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नही है। गेरसायलान को कानूनन पाबंद नही किया जा सकता है। सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में ना होकर गेरसायलान के पक्ष में है। सायलान के पक्ष में प्राईमाफेसी केस साबित नही है। बल्कि प्राईमाफेसी केस गेरसायलान के पक्ष में है तथा अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु गेरसायलान के पक्ष में है। तथा सुविधा का संतुलन भी गेरसायलान के पक्ष में है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान नं01 व 2 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति सरपंच, ग्राम पंचायत पाली पंचायत समिति हिण्डौन के द्वारा दिनांक 02.12.2024 को जारी प्रमाण पत्र, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2022–25, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2026–29, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2030–33, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2034–37, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2038–41, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण संख्या 28 फैंसल दिनांक 06.08.1976, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नामान्तकरण संख्या 28 फैंसल दिनांक 06.08.1976, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2047 पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 46 रकबा 0.11 है0, 47 रकबा 0.24 है0, 48 रकबा 0.08 है0, 49 रकबा 0.19 है0, 50 रकबा 0.11 है0, 51 रकबा 0.11 है0, 52 रकबा 0.16 है0, 53 रकबा 0.09 है0, 54 रकबा 0.03 है0, 55 रकबा 0.18 है0, 56 रकबा 0.09 है0, 57 रकबा 0.08 है0, 58 रकबा 0.12 है0, 59 रकबा 0.37 है0, 60 रकबा 0.14 है0, 61 रकबा 0.31 है0, 62 रकबा 0.13 है0, 63 रकबा 0.12 है0, 65 रकबा 0.20 है0, 66 रकबा 0.15 है0, 67 रकबा 0.16 है0, 68 रकबा 0.24 है0, 69 रकबा 0.07 है0, 70 रकबा 0.13 है0, 380 रकबा 0.35 है0, 390 रकबा 0.33 है0 कुल किता 26 कुल रकबा 4.29 है0 वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील सूरौठ की खातेदारी अंजू पुत्र रतनलाल हि0

1/480, अजय पुत्र शिवसिंह हि0 1/80, आलमसिंह पुत्र माता रामनिरी पुत्री मुकन्दी हि0 1/576, इतबाई पत्नि स्व0 उदयराम हि0 1/20, कमलेश पत्नि स्व0 शिवसिंह हि0 1/80, कमलेश पुत्री मनोहरी हि0 1/8, गिल्हारा पुत्र चिरंजी हि0 1/16, चन्द्रभान पुत्र रतनलाल हि0 1/480, चौबे पुत्र चिरंजी हि0 1/16, जंगलिया पुत्र चिरंजी हि0 1/16, नथिया पत्नि स्व0 मुकन्दी हि0 1/96, नाबालिग नेना पुत्री माता रामनिरी पुत्री मुकन्दी संरक्षक पिता अमृतलाल हि0 1/576, प्रियंका पुत्री शिवसिंह हि0 1/80, बसंता पुत्र चिरंजी हि0 1/16, भूरसिंह पुत्र उदयराम हि0 1/20, मनोज पुत्र माता फूलवती पुत्री भरोसी हि0 1/60, माया पुत्री माता सोहनदेई पुत्री मुकन्दी हि0 1/480, राकेश पुत्र माता फूलवती पुत्री भरोसी हि0 1/60, राधा पुत्री माता फूलवती पुत्री भरोसी हि0 1/60, रामअवतार पुत्र माता सोहनदेई पुत्री मुकन्दी हि0 1/480, रामकेश पुत्र माता रामनिरी पुत्री मुकन्दी हि0 1/576, रामदेई पुत्री मनोहरी हि0 1/8, रामश्री पुत्री मुकन्दी हि0 1/96, रामा पुत्री रतनलाल हि0 1/480, लक्ष्मण पुत्र मुकन्दी हि0 1/96, लक्ष्मी पुत्री माता रामनिरी पुत्री मुकन्दी हि0 1/576, लीला पत्नि स्व0 रतनलाल हि0 1/480, वबिता पुत्री माता रामनिरी पुत्री मुकन्दी हि0 1/576, विकम पुत्र माता फूलवती पुत्री भरोसी हि0 1/60, विनोद पुत्र शिवसिंह हि0 1/80, विमलेश पुत्री माता फूलवती पुत्री भरोसी हि0 1/60, विरमा पुत्री मुकन्दी हि0 1/96, विष्णु पुत्र माता सोहनदेई पुत्री मुकन्दी हि0 1/480, वीरेन्द्र पुत्र रतनलाल हि0 1/480, वीरवती पुत्री उदयराम हि0 1/20, श्रीफल पुत्र मवासी हि0 1/12, शिवदेई पुत्री मुकन्दी हि0 1/96, सुबुद्धि पुत्र उदयराम हि0 1/20, सोहनसिंह पुत्र माता सोहनदेई पुत्री मुकन्दी हि0 1/480, हेमू पुत्र माता सोहनदेई पुत्री मुकन्दी हि0 1/480, हेमा पुत्री माता रामनिरी पुत्री मुकन्दी हि0 1/576 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति सरपंच, ग्राम पंचायत पाली पंचायत समिति हिण्डौन के द्वारा दिनांक 02.12.2024 को जारी प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि हरपारी रेशन फूलवाई सामन्ती पुत्री सोनपाल जाति जाटव निवासी सिंघानजट्ट की पुत्रियॉ हे। सोनपाल जाति जाटव निवासी सिंघानजट्ट

पोस्ट पाली तहसील सूरौठ जिला करौली का मूल निवासी है। इनकी शादी फूलवाई रेशम की सादी खिरकियान के पुरा मे सादीरित के हिसवा से हरपारी समन्ती की सादी धंदावली में की गई है, रिती रिवाज के हिसाब से हम इसे भली भाँति से जानते हैं। सामन्ती की मौत हो चुकी हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2022–25 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 24 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 27 रकबा 19 बिस्वा, 28 रकबा 2 बीघा, 45 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 46 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 47 रकबा 17 बिस्वा, 247 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी मवासी मवासी सोनपाल चिरंजी पि0 मटोल जाति चमार सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2026–29 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 24 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 27 रकबा 19 बिस्वा, 28 रकबा 2 बीघा, 45 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 46 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 47 रकबा 17 बिस्वा, 247 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी मूला मवासी सोनपाल चिरंजी पि0 मटोल जाति चमार सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2030–33 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 24 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 27 रकबा 19 बिस्वा, 28 रकबा 2 बीघा, 45 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 46 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 47 रकबा 17 बिस्वा, 247 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी मूला मवासी सोनपाल चिरंजी पि0 मटोल जाति चमार सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2034–37 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 24 रकबा 1 बीघा 7

बिस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 27 रकबा 19 बिस्वा, 28 रकबा 2 बीघा, 45 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 46 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 47 रकबा 17 बिस्वा, 247 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी उदयराम पुत्र मूला मुकन्दी भरोसी श्रीफल पि0 मवासी मनोहरी पुत्र सोनपाल चिरंजी पुत्र मटोल जाति चमार सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 24 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 27 रकबा 19 बिस्वा, 28 रकबा 2 बीघा, 45 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 46 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 47 रकबा 17 बिस्वा, 247 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी उदयराम पुत्र मूला मुकन्दी भरोसी श्रीफल पि0 मवासी मनोहरी पुत्र सोनपाल चिरंजी पुत्र मटोल जाति चमार सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण संख्या 28 फैंसल दिनांक 07.08.1976 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 24 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 27 रकबा 19 बिस्वा, 28 रकबा 2 बीघा, 45 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 46 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 47 रकबा 17 बिस्वा, 247 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन के खातेदार मूला मवासी सोनपाल पि0मटोल जाति चमार के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण उदयराम पुत्र मूला, मुकन्दी भरोसी श्रीफल पि0 मवासी, मनोहरी पुत्र सोनपाल जाति चमार सा0देह के नाम स्वीकार किया गया है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन के साबिक खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 24 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 27 रकबा 19 बिस्वा, 28 रकबा 2 बीघा, 45 रकबा 1 बीघा 4

बिस्वा, 46 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 47 रकबा 17 बिस्वा, 247 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन से नवीन खसरा नम्बर 46 रकबा 0.11 है0, 47 रकबा 0.24 है0, 48 रकबा 0.08 है0, 49 रकबा 0.19 है0, 50 रकबा 0.11 है0, 51 रकबा 0.11 है0, 52 रकबा 0.16 है0, 53 रकबा 0.09 है0, 54 रकबा 0.03 है0, 55 रकबा 0.18 है0, 56 रकबा 0.09 है0, 57 रकबा 0.08 है0, 58 रकबा 0.12 है0, 59 रकबा 0.37 है0, 60 रकबा 0.14 है0, 61 रकबा 0.31 है0, 62 रकबा 0.13 है0, 63 रकबा 0.12 है0, 65 रकबा 0.20 है0, 66 रकबा 0.15 है0, 67 रकबा 0.16 है0, 68 रकबा 0.24 है0, 69 रकबा 0.07 है0, 70 रकबा 0.13 है0, 380 रकबा 0.35 है0, 390 रकबा 0.33 है0 कुल किता 26 कुल रकबा 4.29 है0 वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं।

गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2047 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 46 रकबा 0.11 है0, 47 रकबा 0.24 है0, 48 रकबा 0.08 है0, 49 रकबा 0.19 है0, 50 रकबा 0. 11 है0, 51 रकबा 0.11 है0, 52 रकबा 0.16 है0, 53 रकबा 0.09 है0, 54 रकबा 0.03 है0, 55 रकबा 0.18 है0, 56 रकबा 0.09 है0, 57 रकबा 0.08 है0, 58 रकबा 0.12 है0, 59 रकबा 0.37 है0, 60 रकबा 0.14 है0, 61 रकबा 0.31 है0, 62 रकबा 0.13 है0, 63 रकबा 0.12 है0, 65 रकबा 0.20 है0, 66 रकबा 0.15 है0, 67 रकबा 0.16 है0, 68 रकबा 0.24 है0, 69 रकबा 0.07 है0, 70 रकबा 0.13 है0, 380 रकबा 0.35 है0, 390 रकबा 0.33 है0 कुल किता 26 कुल रकबा 4.29 है0 वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी उदयराम पुत्र मूला मुकन्दी भरोसी श्रीफल पि0 मवासी मनोहरी पुत्र सोनपाल चिरंजी पुत्र मटोल कौम चमार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 7 दिनांक 06.06.1992 के मुताविक विरासत मनोहरी पुत्र सोनपाल के बजाय समयसिंह पुत्र मनोहरी मु0 रूमाली बेबा मनोहरी के नाम स्वीकार है तथा नोट नामान्तकरण सं0 7 दिनांक 06.06.1992 के मुताविक विरासत चिरंजी पुत्र मटोल

के बजाय जंगलिया गिलाहरया बसन्ता चौबे पि0 चिरंजी कौम चमार के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 24 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 25 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 26 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 27 रकबा 19 बिस्वा, 28 रकबा 2 बीघा, 45 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 46 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 47 रकबा 17 बिस्वा, 247 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील हिण्डौन के खातेदार मूला मवासी सोनपाल पि0 मटोल जाति चमार के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 28 फैंसल दिनांक 07.08.1976 को किया जाकर उदयराम पुत्र मूला, मुकन्दी भरोसी श्रीफल पि0 मवासी, मनोहरी पुत्र सोनपाल जाति चमार सा0देह के नाम स्वीकार किया गया है। जिसमें सोनपाल की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके पुत्र मनोहरी के हक में भरकर तस्दीक दिनांक 07.08.1976 को किया गया था। जिसमें उसकी पुत्रियॉ के नाम नामान्तकरण भरकर तस्दीक नहीं किया गया था। इस प्रकार सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। सायलान का दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेद्याज्ञा का है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निस्तारण तक विवादित आराजीयात के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 46 रकबा 0.11 है0, 47 रकबा 0.24 है0, 48 रकबा 0.08 है0, 49 रकबा 0.19 है0, 50

रकबा 0.11 है0, 51 रकबा 0.11 है0, 52 रकबा 0.16 है0, 53 रकबा 0.09 है0, 54 रकबा 0.03 है0, 55 रकबा 0.18 है0, 56 रकबा 0.09 है0, 57 रकबा 0.08 है0, 58 रकबा 0.12 है0, 59 रकबा 0.37 है0, 60 रकबा 0.14 है0, 61 रकबा 0.31 है0, 62 रकबा 0.13 है0, 63 रकबा 0.12 है0, 65 रकबा 0.20 है0, 66 रकबा 0.15 है0, 67 रकबा 0.16 है0, 68 रकबा 0.24 है0, 69 रकबा 0.07 है0, 70 रकबा 0.13 है0, 380 रकबा 0.35 है0, 390 रकबा 0.33 है0 कुल किता 26 कुल रकबा 4.29 है0 वाके ग्राम सिंघानजट्ट तहसील सूरौठ के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली